

सा० : 5-1(429)/2017-PD

Dated 23.04.2024

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/

विषय : न्यूनतम वेतन आधारित श्रमशक्ति आउटसोर्सिंग सेवा के लिए न्यूनतम आधार मूल्य के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

मुझे सीएसआईआर के दिनांक 14.08.2023 के उपरोक्त विषयक समसंख्यक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि एक प्रयोगशाला से संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें सबसे कम बोली लगाने वाले (एल1) को निविदा दिए जाने के लिए मंजूरी मांगी गई है, जिसमें सेवा शुल्क 3.85% से अधिक उद्धृत किया गया है।

2. इस संबंध में आईएफडी, सीएसआईआर के परामर्श से मामले की जांच की गई और यह स्पष्ट किया गया है कि व्यय विभाग के दिनांक 06.01.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/1/2023-PPD द्वारा जारी निर्देशों में निविदा दस्तावेज में केवल 3.85% से 7% तक न्यूनतम सेवा सीमा निर्धारित करने का प्रावधान है और यदि उसने न्यूनतम सेवा शुल्क के रूप में निर्धारित सेवा शुल्क से अधिक सेवा शुल्क उद्धृत किया है, तो सबसे कम बोली लगाने वाले को निविदा दिए जाने पर कोई रोक नहीं है।

3. इसलिए, इस मामले में जैसा सीएसआईआर के दिनांक 14.08.2023 के पत्र में नियत है, के अनुसार, सीएसआईआर मुख्यालय की मंजूरी केवल उन मामलों में आवश्यक है, जहां निविदा दस्तावेजों में 'न्यूनतम सेवा शुल्क' निर्धारित 3.85% से अधिक तय किया जा रहा है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त स्पष्टीकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएँ।

भवदीय,



(एम. अरुण मणिकण्ड भारति)

अवर सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्न.: यथोपरि

प्रतिलिपि :

- 1) सी.एस.आई.आर .की वेबसाइट
- 2) कार्यालय प्रति.



सा०/No. : 5-1(429)/2017-PD

दिनांक/Dated: 14.08.2023

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय / Sub : Minimum Floor price for minimum wage based Manpower Outsourcing Service – reg.

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 23.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं 6/1/2023-PPD को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अद्योषित करने का निदेश हुआ है। हालांकि, 3.85% से अधिक न्यूनतम सेवा शुल्क तय करने के किसी भी प्रस्ताव के लिए सीएसआईआर मुख्यालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office Memorandum No. 6/1/2023-PPD dated 23.06.2023 on the above mentioned subject for your information, guidance and compliance. However, any proposal of fixing minimum service charges beyond 3.85% will require approval of CSIR HQs.

भवदीय/Yours faithfully,

Digitally signed by ARUN
MANIKANDA BHARATHI M

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

No.F.6/1/2023-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division

169-B, North Block, New Delhi,
23.06.2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Minimum Floor price for minimum wage based Manpower Outsourcing Service – reg.

This office OM No. 6/1/2023-PPD dated 06.01.2023 on the subject referred above is being forwarded for kind information and necessary action. The same may be kept in view while issuing new tenders for outsourcing of manpower.

es
23.6.23

(Sanjay Aggarwal)
Advisor(Procurement Policy)
Tel.24621304
email: sanjay.aggarwal68@nic.in

To

Secretaries of all Ministries/ Departments.

No.F.6/1/2023-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division

264 C, North Block, New Delhi.
Dated the 6th January, 2023.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Proposal on Minimum Floor price for minimum wage based Manpower Outsourcing Service.

The undersigned is directed to refer to Government e-Marketplace (GeM) OM No. 9/JS&ACEO/2022 dated 22.12.2022 regarding the subject cited above and to say as under:

- a. The minimum service charges in the procurement of Manpower Outsourcing Service may be fixed as 3.85% (3% profit plus transaction charges, which are 0.85% at present) as proposed by GeM.
 - b. The procuring entities can also fix the service charge above 3.85% with proper justification on file, wherever required. However, such charges should not exceed 7% (including transaction charges) in any case.
 - c. Least Cost System (LCS) may be considered for procurement, wherever appropriate, especially in high value cases.
2. This issues with the approval of Finance Secretary.

W
6/1/23
(Kanwalpreet)
Director (PPD)
Tel.No. 2309 3811
email: kanwal.irss@gov.in

To

Shri Prashant Kumar Singh,
Chief Executive Officer,
Government e-Marketplace,
2nd Floor, Jeevan Bharati Building,
Janpath, New Delhi.
e-mail: ceo-gem@gov.in